

**उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश : जबलपुर**

C/6522

// आदेश //


कमांक...../चार-12-14/10

जबलपुर, दिनांक 19/12/2022

रजिस्ट्री आदेश कमांक 288/गोप./2022 जबलपुर दिनांक 26 मार्च, 2022 द्वारा निम्नलिखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारियों को प्रधान जिला न्यायाधीश (सुपर समय वेतनमान) (Super Time Scale) रूपये 70290-1540-76450/- में पुनरीक्षित दिनांक से नियुक्ति होने तथा मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पत्र कमांक 2109/2018 /21-ब(एक) दिनांक 28.04.2018 एवं क. 1464/21-ब(एक) दिनांक 25.03.2021 के परिप्रेक्ष्य में उनके वेतन का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क.	नाम	सुपर समय वेतनमान में पूर्व में नियुक्ति का दिनांक	सुपर समय वेतनमान में नियुक्ति का दिनांक/पुनरीक्षित दिनांक	नियुक्ति दिनांक को चयनग्रेड वेतनामन 57700-1230-58930-1380-67210-1540-70290/- में प्राप्त वेतन व दिनांक तथा सुपर समय वेतनमान में आगामी वे0वृ0 का दिनांक	निर्धारित वेतन	देय दिनांक
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	श्री विनोद कुमार	01.12.2018	19.06.2018	70290/- 18.10.2017 18.10.2018 18.10.2019 18.10.2020 ( Retired on 31.07.2022 )	71830/- 73370/- 74910/- 76450/-	19.06.2018 01.10.2018 01.10.2019 01.10.2020
2	श्री ओंकार नाथ	01.12.2018	19.06.2018	68750/- 18.05.2018 18.05.2019 18.05.2020 18.05.2021 18.05.2022 ( Retired on 31.07.2022 )	70290/- 71830/- 73370/- 74910/- 76450/-	19.06.2018 01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,



(अजय पवार)

रजिस्ट्रार(एम)


पृष्ठांकन कमांक...../चार-12-14/10  
प्रतिलिपि:-

C/6523

जबलपुर, दिनांक 19/12/2022

1. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरैना, अलीराजपुर, शिवपुरी एवं रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. असिस्टेंट रजिस्ट्रार(एम)(लेखा)/सहायक(पेंशन)/सहायक सेवा पुस्तिका(राजपत्रित), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
3. श्री विनोद कुमार, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी, निवासी-55 यशोदा कंज मवाना रोड मेरठ, उत्तर प्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. श्री ओंकार नाथ, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन वर्तमान निवास ग्राम एवं पोस्ट पवाबगंज, अलियाबाद, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

**नोट:-** रजिस्ट्री पृष्ठांकन कमांक Reg(IT)(SA)/2021/953 दिनांक 12.07.2021 के द्वारा आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन करें।



रजिस्ट्रार(एम)